न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)
प्रा0पत्र संख्या :–197 / 2017
निर्णय दिनांक:–03.01..2018

उनवान

रामकरण पुत्र उंकार जाति गुर्जर निवासी खिडगी तहसील निवाई जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

प्रहलाद पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी खिडगी तहसील निवाई जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र भरण–पोषण

उपस्थितः– श्री रामकरण गुर्जर प्रार्थी
श्री सीताराम शर्मा वकील प्रतिपक्षी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि मैं प्रार्थी रामकरण पुत्र उंकार गुर्जर नि. खिडगी तह. निवाई का निवासी हूं। मेरी उम्र 75 वर्ष हो गई है। मेरे दो पुत्र प्रहलाद जो वर्तमान में सरकारी अध्यापक है व दूसरा पुत्र पृथ्वीराज जो लकवा बीमारी से ग्रसित है जो घर छोडकर चला गया। पता नहीं कहां गया। मैं एक गरीब मजदूर बूढा व्यक्ति हूं। मेरा बडा पुत्र प्रहलाद मेरे से अलग रहता है। मेरे पास मेरे पुत्र पृथ्वीराज की एक लडकी उम्र 07 वर्ष व एक लडका विकास उम्र 09 वर्ष का है जो मेरे पास रहते है। मैं मेरी पोत्री व पोत्र का पालन–पोषण करने मे असमर्थ हूं फिर भी बडी मुश्किल से उनका पालन–पोषण कर रहा हूं। व मेरा बडा पुत्र प्रहलाद मेरे से बातचीत नहीं करता है व मेरे से दूर रहता है व मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है व मेरी व मेरे पोत्र व पोत्री की भूखे मरने की स्थिति हो गई है व मेरी पत्नि भी बुजुर्ग 70 वर्ष कि उम्र हो गई है। श्रीमान् से निवेदन है कि मेरे भरण–पोषण की व्यवस्था करवाने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी प्रहलाद को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी की ओर से श्री सीताराम शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश कर बताया कि प्रतिपक्षी प्रहलाद 2000/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण के रूप में दिये जाने हेतु सहमत है।

उभयपक्षों को सुना गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी के एक पुत्र का लकवा बीमारी से ग्रसित होना व घर छोडकर चला जाना बताया है। एक अन्य पुत्र प्रहलाद सरकारी कर्मचारी है तथा वह 2000/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण के रूप में दिये जाने हेतु सहमत है।

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिपक्षी प्रहलाद को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी रामकरण के बैंक ऑफ बडौदा के खाता संख्या 14458100003321 में प्रत्येक माह की 05 तारीख से पूर्व 2000/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण के रूप में जमा करवाने की सुनिश्चितता करें।

यह निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

3/1/18

हरिताभ कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

47D:\Rajsw\Court\Faisale\Faisale.docx313

Scanned by CamScanner